श्रीमती जड़ाव देवी बनाम हेमाराम 105/2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.3.25	पत्रावली पेश। [illegible] उपस्थित नहीं। अपील अपीलांट [illegible] [illegible] पेश की [illegible] रिमांड किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] निर्णय को इजलास [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] बाद [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 105/2018

1 श्रीमती जड़ाव देवी पुत्री स्व. मोतीराम
2 छोटूसिंह पुत्र स्व. मोतीराम जाति जाट निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर।
3 श्रीमती बनारसी देवी पुत्री स्व. मोतीराम स्त्री हरिराम जाति जाट निवासी ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर।
4 छोटी देवी पुत्री स्व. मोतीराम स्त्री धन्नाराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हेमाराम मृत
1/1 श्रीमती राधादेवी पत्नी स्व. हेमाराम
1/2 रणजीत सिंह पुत्र स्व. हेमाराम जाति जाट निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर।
1/3 विमला देवी पुत्री हेमाराम पत्नी महेश कमार जाति जाट निवासी ग्राम कुमास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 रामचन्द्र पुत्र बक्साराम
3 भागीरथ पुत्र बक्साराम
4 श्रीमती छोटीदेवी पत्नी स्व. नोपाराम
5 नेमीचन्द पुत्र स्व. नोपाराम
जाति जाट निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, सीकर।
7 रामदेव सिंह पुत्र स्व. मोतीराम जाति जाट निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 25.06.2018
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर मुकदमा
उनवानी मोतीराम बनाम हेमाराम आदि मु.नं. 106/2008
अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्रवण कुमार झाझड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 21/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2008 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी मोतीराम ने ग्राम दादिया की भूमि खसरा नम्बर 508, 509 के संदर्भ में घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2011 को विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की गई, बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिकी जारी की गई है। इससे व्यथित होकर वादी के वारिसान की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 25.06.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प दादिया में प्रस्तुत होने के संबंध में अपीलान्टान को कोई नोटिस व सूचना नही दी गई और न ही अपीलान्टान को तहसीलदार सीकर द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई मौका ही दिया गया। बंटवारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्ताव बनाये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय ने तहसीलदार को आदेश दिया था परन्तु तहसीलदार महोदय सीकर स्वयं के मौके पर जाकर कोई बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया और इस बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का दादिया व भू–अभिलेख निरीक्षक दादिया ने तैयार किया है जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर बतौर सी एस है और कानूनन बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को तैयार करना था। बंटवारा स्कीम तैयार करने से पूर्व अपीलान्टान को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई ओर न ही अपीलान्टान की उपस्थिति में बंटवारा स्कीम तैयार की गई और न ही उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्टान के कोई हस्ताक्षर ही है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय जैर अपील प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया है व अपीलान्टान जो विवादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व मौके पर काबिज है को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। विवादग्रस्त आराजियात के अलावा पक्षकारान की पैतृक संयुक्त कब्जे व काश्त की अन्य आराजियात भी है जिनके संबंध के दावे भी विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। कानूनन पक्षकारान की सभी जमीनों का बंटवारा एक साथ ही किए जाने योग्य होते हुये भी विचारण न्यायालय ने आज्ञा निर्णय जैर अपील विरूद्ध कानून पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की पालना विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के भाई वादी मोतीराम के पुत्र रामदेव के हस्ताक्षर है। इन विभाजन प्रस्ताव को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 30.09.2013 से प्रतिवादी संख्या 4 नोपाराम के कायम मुकाम हेतु दिनांक 14.05.2018 तक नियत रही है। दिनांक 14.05.2018 को आगामी तारीख पेशी 25.06.2018 नियत की गई है। नियत तिथि 25.06.2018 से पूर्व दिनांक 14.06.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प दादिया में रखकर विचाराधीन अंतिम डिकी जारी की गई है। पत्रावली नियत तिथि से पूर्व कैम्प कोर्ट में रखने के संदर्भ में पक्षकारों अथवा उनके अधिवक्ता को सूचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने मृत पक्षकार के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्र दिनांक 03.07.2013 के अंकन से होती है। इस अंकन में तहसीलदार स्वयं ने विभाजन प्रस्ताव आईएलआर से तैयार करवाने का अंकन किया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के संदर्भ में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर मृत पक्षकार के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21/3/5 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर